उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3
संख्या–1584 / 2024–8–3099 / 163 / 2024
लखनऊः दिनाँकः 19 जुलाई, 2024

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र और अन्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण अध्यादेश, 2024 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या–4 सन् 2024) की धारा–3 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल घोषणा करते हैं कि नीचे अनुसूची में यथा उल्लिखित राज्य की राजधानी और उसके आस–पास का क्षेत्र 'राज्य राजधानी क्षेत्र' होगा, जिसे "उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र" कहा जायेगा।

अनुसूची

क्रम संख्या	जिला	क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.)
1	लखनऊ	2,528.00
2	हरदोई	5,986.00
3	सीतापुर	5,743.00
4	उन्नाव	4,558.00
5	रायबरेली	4,609.00
6	बाराबंकी	4,402.00
कुल		**27,826.00**

2– पूर्वोक्त अध्यादेश में धारा 4 की उपधारा 1 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल अग्रतर उक्त अध्यादेश के प्रयोजन के लिए उपरोल्लिखित "उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र" के संबंध में एक प्राधिकरण का गठन करते हैं, जिसे "उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण" कहा जाएगा, जिसमें निम्नलिखित समाविष्ट होंगे :–

(क)	माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश	अध्यक्ष
(ख)	मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन	उपाध्यक्ष
(ग)	अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग	सदस्य
(घ)	वित्त, विधि, राजस्व, नियोजन, नगरीय विकास, औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास, नमामि गंगे, लोक निर्माण विभाग, पर्यटन, वन, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, कृषि, सिंचाई और परिवहन विभागों के अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, पदेन	सदस्य
(ङ)	मंडलायुक्त, लखनऊ एवं अयोध्या	सदस्य
(च)	जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, एवं बाराबंकी	सदस्य
(छ)	उपाध्यक्ष, लखनऊ, उन्नाव–शुक्लागंज एवं रायबरेली विकास प्राधिकरण	सदस्य
(ज)	मुख्य नगर और ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश, पदेन	सदस्य
(झ)	सरकार द्वारा नियुक्त अनधिक पॉच ऐसे विशेषज्ञ व्यक्तियों की संख्या जो सरकार की राय में शहरी और क्षेत्रीय विकास, अभियंत्रण, परिवहन, उद्योग और पर्यावरण से संबंधित मामलों का विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखता हो,	सदस्य
(ञ)	प्रबंध निदेशक या उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन या किसी अन्य अभिवहन प्राधिकरण के प्रतिनिधि, चाहे, वे किसी भी नाम से जाने जांय	सदस्य
(ट)	भारत सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट रेलवे और रक्षा के प्रतिनिधि	सदस्य
(ठ)	सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी जो सरकार के प्रमुख सचिव से अनिम्न रैंक का होगा। जब तक सरकार द्वारा अन्यथा नामनिर्दिष्ट नहीं किया जाता है, तब तक आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अपर मुख्य सचिव, मुख्य कार्यपालक अधिकारी होंगे।	सदस्य

(ड)	क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का सदस्य सचिव	मण्डलायुक्त, लखनऊ

3– "उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण" का मुख्यालय लखनऊ में होगा।

आज्ञा से,

डॉ0 नितिन रमेश गोकर्ण
अपर मुख्य सचिव

संख्या–1584(1)/2024–8–3099/163/2024–तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को दिनांक 19.07.2024 के असाधारण गजट विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड–ख में प्रकाशित कराते हुए 5–5 प्रति सम्बन्धित विभागों तथा 100 प्रतियां आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

उदय भानु त्रिपाठी
विशेष सचिव

संख्या–1584(2)/2024–8–3099/163/2024–तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. सचिव, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5. अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड, भारत सरकार, नई दिल्ली।
6. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ।
7. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
8. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद।
9. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
10. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
11. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश, शासन लखनऊ।
12. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
13. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
14. आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश, आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
15. समस्त जिलाधिकारी/नियंत्रक प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
16. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
17. सचिव, उत्तर प्रदेश भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, लखनऊ।
18. रजिस्ट्रार, उत्तर प्रदेश भू–सम्पदा अपीलीय अधिकरण, लखनऊ।
19. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, समस्त औद्योगिक विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
20. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
21. निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि आदेश की प्रति आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
22. समस्त अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
23. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Arun Kumar

(अरूण कुमार)
अनु सचिव

Uttar Pradesh Shasan
Awas evam Shahri Niyojan Anubhag-3

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no.1584/2024-8-3099/163/2024, dated 19 July, 2024.

NOTIFICATION

No. 1584/2024-8-3099/163/2024

Lucknow; Dated: 19 July, 2024

In exercise of the powers under sub-section (1) of section 3 of the Uttar Pradesh State Capital Region and other Regions Development Authority Ordinance, 2024 (U.P. Ordinance no. 4 of 2024), the Governor, is pleased to declare that the area comprising State Capital and its surrounding areas as mentioned in the Schedule below shall be a 'State Capital Region', to be called the "Uttar Pradesh State Capital Region" .

SCHEDULE

S.No.	District	Area (sq. km.)
1	**Lucknow**	2,528.00
2	**Hardoi**	5,986.00
3	**Sitapur**	5,743.00
4	**Unnao**	4,558.00
5	**Raebareli**	4,609.00
6	**Barabanki**	4,402.00
Total		**27,826.00**

2. The Governor, in exercise of powers under sub-section (1) of section 4 of the aforesaid Ordinance, is further pleased to constitute, in respect of the above mentioned "Uttar Pradesh State Capital Region", for the purposes of the said Ordinance, an authority to be called the "Uttar Pradesh State Capital Region Development Authority", consisting of,-

(a)	Hon'ble Chief Minister, Uttar Pradesh	Chairman
(b)	The Chief Secretary to Government of Uttar Pradesh	Vice-Chairman
(c)	The Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary to the Department of Housing and Urban Planning	Member
(d)	The Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary to the Departments of Finance, Law, Revenue, Planning, Urban Development, Industrial and	Member

	Infrastructure Development, Namami Gange, Public Works Department, Tourism, Forest, Rural Development, Panchayati Raj, Agriculture, Irrigation and Transport, ex-officio	
(e)	The Divisional Commissioners Lucknow and Ayodhya	Member
(f)	The District Magistrates Lucknow, Hardoi, Sitapur, Unnao, Raebareli and Barabanki	Member
(g)	The Vice-Chairman of Lucknow, Unnao-Shuklaganj and Raebareli Development Authority	Member
(h)	The Chief Town and Country Planner, Uttar Pradesh, ex-officio	Member
(i)	such number of expert persons, not exceeding five, appointed by the Government who in the opinion of the Government have special knowledge or practical experience of matters relating to urban and regional development, engineering, transport, industry and environment	Member
(j)	The Managing Director, or their representatives, of Uttar Pradesh Metro Rail Corporation or any other transit authority by whatever name they are known	Member
(k)	The Representatives of Railways and Defence nominated by Government of India	Member
(l)	Chief Executive Officer nominated by the Government not below the rank of Principal Secretary to the Government. Unless nominated otherwise by the Government, Additional Chief Secretary, Housing and Urban Planning Department will be the Chief Executive Officer	Member
(m)	The Member Secretary to the Regional Development Authority	Divisional Commissioner, Lucknow

3. The headquarter of the "Uttar Pradesh State Capital Region Development Authority" shall be at Lucknow.

By order,

19/7/24

(Dr. Nitin Ramesh Gokarn)

Additional Chief Secretary.